

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल सुपौल।

E-mail ID :- eercdspl@gmail.com/ee-rd-supaul-bih@nic.in, Mobile No. 9470001303

पत्रांक 1143(अनु०) सुपौल, दिनांक 05/10/2023

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, सुपौल।

सेवा में

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
सुपौल।

विषय :-

पथ प्रमंडल, सुपौल अन्तर्गत सुपौल-सिंहेश्वर स्थान पथ के 3रें कि.मी. में स्थित मौजा-गौरवगढ़, खाता नं०-251, 288 एवं 446, खेसरा नं०-4673, 4675 एवं 4676 प्रखंड-सुपौल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का रिटेल आउटलेट हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

प्रसंग :-

अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा का पत्रांक-896(अनु०) दिनांक-15.09.2023

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) से रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु पथ निर्माण विभाग की भूमि को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर व्यवहार हेतु 5 (पाँच) वर्षों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-614(अनु०) दिनांक-19.06.2023 तथा विभागीय निदेश (पत्रांक-4770E) दिनांक-24.08.2017 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1921(S) दिनांक-08.03.2018 के आलोक में निम्न शर्तों पर प्रदान किया जाता है:-

1. भविष्य में यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गयी सूचनाओं में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. पेट्रॉल पम्प के अनुमोदित नक्शा की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जाती है।
3. प्रत्येक 5 (पाँच) वर्ष के बाद नवीकरण कराना अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक 5 (पाँच) वर्ष अवधि समाप्त होने के 4 (चार) माह पूर्व नवीकरण हेतु आवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. विभागीय पत्रांक-4770(ई०) दिनांक-24.08.2017 के कंडिका-06 का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।

अनु०:- 1. प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति।

2. मूल नक्शा की एक प्रति।

विश्वासभाजन

A. S. Mishra
05.10.2023

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, सुपौल।

05.10.23